सभी इस सभा में रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे एक साथी श्री संजय निरुपम ने कहा कि इस सभा में कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने इसे एक नकारात्मक अर्थ में कहा बल्कि यह तत्य है।

जिन सुधारों के बारे में हम बात कर रहे है, जब तक चुनाव सुधार नहीं होते तब तक समग्र राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अतः जब तक हम चुनाव सुधार नहीं करते तब तक ये सभी प्रयास अर्थहीन होंगे। आपकों शत्रुता का उदाहरण देने के लिए, हम समाज में बात कर रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव हुए है। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि यद्यपि एन.सी.पी. और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, तथापि हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा और उन परिस्थितियों में भी हम अब तक रहे जब देश में पूरा माहौल नेताओं के खिलाफ है।

उस दिन में चैनल पर बोल रही थी। मेरे विचार गुरुदास जी मीडिया के विरोध में बकूबी बोलते है और मैं नहीं मानती कि मेरे पास उनके जैसा आत्मविश्वास है। लेकिन परसों एक चैनल में यह कहा जा रहा था कि सभी 800 संसद सदस्यों ने इस देश को भ्रम में डाल दिया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्योंकि चैनल हमारे या आपके निर्वाचन क्षेत्र में गया है और प्रत्येक मतदाता से पूछा है हां, क्या हमने इन ढाई वर्षों तक उन्हें भ्रम में रखा है? अतः मुझे यह सामान्य टिप्पणी पसंद नहीं है। मेरे विचार में हम यहां प्रतिबद्धता और विवेक के साथ आए है और हम देश में बदलाव लाना चाहते हैं। पूरा परिवेश ऐसा हैं कि नेता कुछ नहीं करते हैं; वे विदेश में छुट्टी मनाने जाते है। केवल हमारे परिवार जानते हैं कि हमारे निजी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक मां के रूप में मुझे मालूम है कि मैं यहां रहकर अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हूं, प्रिया जी यहां उपस्थित हैं। हमारे घरों में हमारी माताओं और सासों को धन्यवाद कि हमारे बच्चे पल-बढ़ रहे हैं। मैं इस तरह नहीं रहना चाहती। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है, जब आज इस देश में प्रत्येक चैनल और प्रत्येक अखबार मुझ पर इस तरह देखता है कि मानों मैं एक अपराधी हूं। मैं नहीं हूं। सोलह लाख लोगों ने हममें से प्रत्येक को मत दिया है। हम वैधानिक रूप से यहां हैं। मेरे विचार में हमारे लिए कार्य करने और परिवर्तन करने का समय आ गया है। देश, मीडिया और सभी एन.जी.ओ. के सामने इसे साबित करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत से एन.जी.ओ. के साथ काम करती हूं लेकिन आज मैं यहां अपने साथी सदस्यों का बचाव करती हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और हम यह साबित करेंगे कि इस लोकपाल से हमारे द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की तुलना में कई गुना परिवर्तन होगा।

मुझे विश्वास है कि इस लोकपाल विधेयक में, यदि आज हम इसे पारित करते है, तो हम इसके कई चरणों में संशोधन ला सकते हैं। अतः हमें समग्र रूप से यह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह छोटी-सी शुरुआत है। मेरे विचार से यह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के साथ की गई प्रतिबद्धता है। आप उनके साथ रहें, और उनका समर्थन करें और देश को दिखाएं कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और यह एक ईमानदार लोकतांत्रिक प्रणाली है।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): सभापति महोदया, सुषमा जी ने सुबह मेरे एक पसंदीदा दोहे को उद्धृत किया।

देश के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण घड़ियां आई हैं। यह ऐसी ही घड़ी है। राष्ट्र बेसब्री से यह प्रतिक्षा कर रहा है कि इस सम्मानित सभा का सामूहिक विवेक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान में किस प्रकार परिलक्षित होगा।

अपराह्न 4.42 बजे

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं***)**

महोदया, इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर सार्वजनिक तौर पर तथा राजनीतिक दलों द्वारा जोरदार बहस हुई है। ईमानदारी से मेरा यह मानना है कि जो विधेयक इस सम्मानित सभा के समक्ष है सदस्य उस आश्वासन पर खरे उतरेंगे जो उन्होंने 27 अगस्त, 2011 की बहस के पश्चात् इस सभा की भावना के माध्यम से देश के लोगों को सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से दिया गया था।

विधान बनाने का कार्य अत्यंत गम्भीर कार्य है और अन्ततः इसे हमारे द्वारा ही निष्पादित किया जाना चाहिए जिन्हें संवैधानिक रूप से यह दायित्व सौंपा गया है। अन्य लोग मना सकते है और अपनी आवाज हम तक पहुंचा

[डॉ. मनमोहन सिंह]

सकते हैं। परन्तु निर्णय हम ही लेंगे। साथ ही हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रष्टाचार और इसके परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर बनाते हैं। हमने देखा है कि गत एक वर्ष मैं किस प्रकार लोगों का क्रोध फूट पड़ा है। इसलिए हमें इस यथा-प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करना चाहिए। इस विधेयक को तैयार करने में हमने काफी परामर्श किया है। मैं माननीय सदस्यों और स्थायी समिति के सभापति को इस विधेयक का गहन अध्ययन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम राजनीतिक दलों की बुद्धिमत्ता से लाभान्वित हुए है और सभी प्रकार के सुझावों पर विचार किया गया है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जब 2004 में हमारी सरकार निर्वाचित होकर आई, तो हम चाहते थे कि हमारी नीतियां लोकहितकारी हों। हम पारदर्शिता, पारदर्शी शासन और आम आदमी की खुशहाली हमारी नीतियों का आधार है। पारदर्शी शासन व्यवस्था के प्रति हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते ही हम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लाए। हमारी लोकहितकारी नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियमित किया। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 वंचित और पिछड़े लोगों का सशक्तीकरण करने की हमारी इच्छा साक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। हमने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के माध्यम से शहरों के नवीकरण का प्रयास किया है।

राजीव आवास योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों, गरीबों को आवास प्रदान करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन गरीब और कुपोषित लोगों को भुखमरी और आभार के दुष्परिणाम से बचाने की दिशा में उठा खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 दूसरा कदम होगा। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वावस्थापन विधेयक, 2011 किसानों और आजीविका से वंचित लोगों को न्यायोचित दावा प्रदान करने का उपबंध करता है। हमने वंचित लोगों के विकास के लिए अधिक समतामूलक और समावेषी भारत का निर्माण करने का प्रयास किया है। यह हमारी सरकार का मिशन रहा है और आगे भी रहेगा।

महोदया, भ्रष्टाचार के संबंध में हमारी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए है। गत एक वर्ष में हम कतिपय उत्कृष्ट विधानों पर कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को समयबद्ध सीमा में वस्तुओं और सेवाओं का परिदान और उनकी शिकायतों का समाधान विधेयक 2011, संसद के विचाराधीन हैं। लोक हित प्रकटन और प्रकटन बनाने वाले व्यक्ति का संरक्षण विधेयक 2011 और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को संसद द्वारा स्वीकृति दी जानी है। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2011 को स्थायी समिति द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई है और यह संसद के विचाराधीन है। सेवाओं का इलैक्ट्रानिक परिदान विधेयक 2011 पुरस्थापित किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक लोक सेवाएं नागरिकों के द्वार पर इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदया प्रशासनिक स्तर पर हमारी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धान्तों के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहती है। हम प्रापण के संबंध में लोक नीति उपायों का निर्धारण कर रहे है। मंत्रियों के समूह ने जहां तक संभव हो प्रशासनिक मामलों में विवेकाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम से शुरुआत की है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक बनने के बाद हम भ्रष्टाचार से लड़ना बंद नहीं करेंगे।

महोदया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हमारे कानून भी सर्वव्यापी होंगे। कानून दावपेंच का प्रयोग इस बात के समर्थन के लिए नहीं किया जा सकता कि राज्य विधानमण्डलों को प्रस्तावित आदर्श कानून स्वीकार नहीं करना चाहिए अथवा इसके प्रवर्तन को विलंबित करना चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है चाहे वह केन्द्र में हो अथवा राज्यों में हो। इसका कोई विधायी रंग नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर देश के लोगों को यह दिखाएं कि यह सभा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रयासरत है। हम सभी सभा की भावना को प्रदर्शित करने वाले संकल्प में पक्षकार हैं। जिसके अनुसार हम लोकपाल के साथ-साथ राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। यदि हम संविधान के अनुच्छेदों को बाधा बताते हुए लोकायुक्त प्रणाली के लिए प्रावधान नहीं करते है, तो हम इस सभा द्वारा राष्ट्र को दिए गए वचन का उल्लंघन करने के दोषी होंगे। मैं संसद में अपने सभी

सहयोगियों से मांग करता हूं कि वे इस अवसर पर राजनीति से ऊपर उठे और इस विधान को पारित करें।

अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार नागरिकों को सीमित लोक सेवाएं सीधे प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वास्तविक समस्या राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं जहां आम आदमी को प्रतिदिन भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता हैं। इसीलिए हम राज्यों के समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाए हैं। आम आदमी को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी स्थानीय तथा साथ ही राज्य प्राधिकारियों की है। यहीं पर भ्रष्टाचार से लड़ने की आवश्यकता है। पानी, बिजली, नगर निकाय सेवाएं, भू-अभिलेख, पुलिस, परिवहन राशन की दुकान आदि कुछ आवश्यक सेवाओं के उदाहरण हैं जो राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना से लोगों में हताशा की भावना जो हमें गुस्से के रूप में दिखायी देती है के समाधान में सहायक होगी।

अध्यक्ष महोदया, यहां तक की केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन किसी न किसी सदन में सदस्य राज्यों द्वारा हमारी केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वयन किए जाने के ढंग को लेकर अपना मोह भंग होने की बात करते है। हमें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। जब तक लोकायुक्त की स्थापना नहीं होती है तब तक भ्रष्टाचार का कैंसर फैलेगा। मुद्दे पर और विलंब न किया जाए। संघीय प्रणाली भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई में बाधक नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदया, सी.बी.आई. के संबंध में हमारा मानना है कि इसे सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करना चाहिए। परन्तु कोई भी संस्थान और कोई भी व्यक्ति जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। सभी संस्थाओं को संविधान के अनूरूप ही होना पड़ेगा।

आज हम मानते हैं कि एक सरकार जो कि सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और जो उसके प्रति जवाबदेह है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन एक निकाय जो कि सीधे जनता से अपनी विधिमान्यता प्राप्त न करे या उसके प्रति जवाबदेह न हो, उस पर सम्मान और विश्वास के साथ अपनी अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। ऐसी किसी भी सत्ता का सृजन नहीं किया जाना चाहिए, जोकि हमारे संवैधानिक ढांचे से असंगत हो और जिसे बिना किसी उचित जवाबदेही के व्यापक कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। कहने का तत्पर्य यह है कि इस संविधान के दायरे में आने वाली सभी संस्थाएं केवल और केवल संसद के प्रति जवाबदेह हैं। इस कानून को बनाने के अपने जोश में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि सी.बी.आई. को लोकपाल से स्वतंत्र रहकर कार्य करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि सी.बी.आई. को सरकार से स्वतंत्र रहकर कार्य करना चाहिए। लेकिन, स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही का न होना नहीं है। इसलिए, हमने सी.बी.आई. निदेशक की नियुक्ति की एक प्रक्रिया का प्रस्ताव किया हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामिती और लोक सभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा के बारे में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक लोकपाल के अधीन सी.बी.आई. के कार्य करने का प्रश्न है, हमारी सरकार का मानना हैं कि ऐसा करने से संसद से बाहर एक कार्यकारी ढांचा बन जाएगा, जो कि किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होगा। यह ठोस संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मैं मानता हूं कि यह विधेयक, जो कि अब इस सभा के समक्ष है, में सी.बी.आई. की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही का न्यायसंगत मिश्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिमामयी सभा का विवेक इस विधेयक में यथा प्रतिबिंबित हमारी सरकार के प्रस्तावों का समर्थन करेगा।

महोदया, इस चर्चा के दौरान, नौकरशाही की खूब आलोचना हुई है। जहां मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिए और कर्तव्य पालन करने वालों के विरुद्ध शीघ्र और निर्णायक ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं मैं ऐसे अनेक सरकारी सेवकों की अत्यधिक सराहना करता हूं, जिन्होंने अविश्वास के वातावरण में अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा दिखाई है।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता है उसी प्रकार सभी राजनीतिज्ञों को बेईमान या भ्रष्ट नहीं माना जाना चाहिए। हमें गंदी चीजों के साथ अच्छी चीजों को भी नहीं फेंक देनी चाहिए। एक कार्यात्मक, कुशल प्रशासनिक प्रणाली के बिना कोई भी सरकार अपने लोगों

[डॉ. मनमोहन सिंह]

के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हमें इस प्रणाली को हटाकर कोई ऐसी प्रणाली नहीं लानी चाहिए, जिसमें सरकारी सेवक अपने विचारों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करने में झिझकें जिससे सुशासन की व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाए। सरकारी सेवकों को व्यवहार का आकलन करने में हमें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनजाने में हुई कतिपय गलतियों और नितांत अवैधानिक कृत्यों के बीच भेद करना नहीं भूलना चाहिए। बहुधा हमारे सरकारी सेवकों को अत्यधिक अनिश्चितता की परिस्थितियों में निर्णय लेने होते हैं। चूंकि भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए यह संभव है कि कोई कार्रवाई जो कि पहले तर्कसंगत लग रही हो, वह बाद में गलत निकले। पुरस्कृत करने और सजा देने की हमारी प्रणालियों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

महोदया, शासन की सभी प्रणालियां विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। यह लोगों का विश्वास है जिसे हम सरकार में प्रतिबिंबित और संरक्षित करते हैं। सभी प्राधिकारियों के प्रति व्यापक अविश्वास व्यक्त करने से लोकतंत्र को खतरे में पड़ जाना है। अत्यधिक विशाल आकार और विविधता वाली हमारी राजनैतिक व्यवस्था को तभी एकजुट रखा जा सकता है, जब हम अपनी आस्था और विश्वास उन संस्थाओं में रखें जिन्हें हमने पिछले 63 वर्षों के दौरान सावधानीपूर्वक निर्मित किया है। मतदाता की शक्ति ही वह अंतिम शक्ति है जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाती हैं। लोकतंत्र को खतरे में डालकर, हम केवल अव्यवस्था और अराजकता को ही बल देंगे जहां तर्क के स्थान पर भवनाएं महत्वपूर्ण होंगी।

महोदया, हम वर्तमान की खामियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ सृजित कर रहे हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें छिपे हुए खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। हम ऐसा कुछ सृजन न करें जो कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के नाम पर उस सब को नष्ट कर दे, जो हम सब चाहते हैं। हम याद रखें कि कई बार नर्क का मार्ग शुभ इच्छाओं से आच्छादित होता है।

लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर हमें एक और यात्रा शुरू करने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि उस विश्वास का पुनर्निर्माण किया जा सके जो कि दृढ़ और गतिशील भारत के लिए अनिवार्य है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, लोकपाल विधेयक पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अभी-अभी हमने इस चर्चा में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को सुना है। उनके पूरे भाषण का सार यह सुनिश्चित करना है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें और समाप्त करें। पूरी सभा इस प्रकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर रही है। पूरी सभा और इस सभा के सभी सदस्य भ्रष्टाचार को समाप्त करने के पक्ष में है। हम इसके पक्ष में हैं। इसके साथ ही लोकपाल विधेयक में सरकार द्वारा लाए गए कतिपय उपबंधों का हम विरोध कर रहे है। निस्संदेह, जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हम लोकपाल चाहते हैं। अभी हाल में, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि, "प्रति वर्ष 19 बिलियन डॉलर की गैर-कानूनी धनराशि देश से बाहर ले जाई जाती है। वर्ष 2010 में वैश्विक भ्रष्टाचार मापक दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कम-से-कम 55 प्रतिशत परिवार मूलभूत सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देते हैं।" प्रधानमंत्री ने क्या कहा? यदि देश के किसी साधारण व्यक्ति को सरकार से कोई सेवा लेनी होती है, तो उसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसा देना पड़ता है। इसीलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने इस लोकपाल विधेयक को लाना हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदया, हमारी पार्टी ए.आई.ओ.डी.एम.के. लोकपाल के पक्ष में है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सभी माननीय सदस्य इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन, लोकपाल के कतिपय उपबंधों को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम इस बात पर जोर देते आ रहे है और हमने न केवल यहां बल्कि प्रधानमंत्री तथा सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक में भी कहा है कि प्रधान मंत्री के कार्यालय को लोकपाल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमारा यही मत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यू.पी.ए. के सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय सर्वोच्च कार्यालय है। उसे सरकार चलानी होती है। उसे इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारी